हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, 07 मार्च, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

07.03.2018/11.00 /केएस/ डीसी/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः मुकेश जी, क्या विषय है आपका?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब सदन में भू-सुधार कानून की धारा-118 पर चर्चा हुई और हम सदन से बाहर गए।....

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चर्चा कहां हुई। ये लोग चर्चा के बिना ही सदन से बाहर चले गए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः चर्चा हो गई, आपको समझ भी आ गया। अध्यक्ष महोदय, हम मुख्य मंत्री जी के पद का बहुत सम्मान करते हैं लेकिन अगर मुख्य मंत्री जी यह समझे कि ये विपक्ष को धमकी दे कर शांत कर सकते हैं, हमें थ्रैट करेंगें तो मुझे लगता है कि सदन चलाने की इनकी मन्शा नहीं है। इन्होंने जिस ढंग से कल, जो अखबारों में आया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस का चेहरा उजागर करुंगा, मुझे मज़बूर मत करना, मुझे इनको शांत करना आता है । जिस ढंग से इन्होंने जांच की धमकी दी है, जिस ढंग से इन्होंने थ्रैट देने की कोशिश की है, यह एक बहुत गम्भीर मसला है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विधायक तो सदन में बैठ भी नहीं पाएंगें अगर मैं अपने पर आ गया। हमारा मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह है कि पहले वे इसी इशू को सैटल कर लें, बता दें कि इनकी मन्शा क्या है? हम 21 लोग बैठे हैं और कोई आपकी जेल ऐसी बनी है जिसमें 21 लोगों को ले जाना है तो अभी चल पड़ते हैं।

अध्यक्षः मुकेश जी, आपका विषय आ गया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः लेकिन अध्यक्ष महोदय, थ्रैट बर्दाश्त नही होगी।

अध्यक्षः एक मिनट। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे?

07.03.2018/11.00 /केएस/ डीसी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि शुरूआत ठीक नहीं हुई है। एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं । दो महीने का कार्यकाल हुआ है और इसमें हमने कभी भी गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कोई बात नहीं कही है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। चाहे विधान सभा का चार दिन का सत्र धर्मशाला में रहा और चाहे यह सत्र हो। मुझे लगा कि हमारे ऊपर आरोप तब लगते अगर हमने कुछ किया होता। हमने कुछ नहीं किया है और न करने की इस प्रकार की मन्शा है जिस प्रकार से आप इस सारे विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर कल ही आप हमारी बात सुन लेते तो यहीं मामला खत्म हो जाता । लेकिन हर बात को ले कर उसमें से राजनीति तलाशना और उसमें से स्कोर सैटल करना, इससे हमारी भावनाएं भी आहत होती है। आप बहुत कुछ बोल कर चले गए, हमने उसके बाद वस्तुस्थिति आपके सामने रखी। हिमाचल के लोगों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इस बात को दावे और जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा किसान है या बागवान है या कोई भी गरीब आदमी है, हिमाचल प्रदेश में कुछ पैसे वाले लोग आ करके उसकी जमीन खरीदने की कोई भी चेष्टा नहीं कर सकता और न ही ऐसी परिस्थिति आज के समय में हिमाचल प्रदेश में है और न आने वाले समय में होगी । (व्यवधान) आप हमारी बात सुन लें। कल भी आपने हमारी बात नहीं सुनी।

अध्यक्षः मुकेश जी, मुख्य मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दो। (व्यवधान) कल आपने अपनी बात रखी थी। अब मुख्य मंत्री जी को अपनी बात कहने का हक है इसलिए इनको अपनी बात कहने दीजिए। आप एक मिनट रुकिए । आपको फिर से समय देंगें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर धारा 118 पर चर्चा करनी है तो फिर नियम 67 पर अभी चर्चा कर लीजिए। (व्यवधान)

7.3.2018/1105/av/dc/1

(---व्यवधान---)

अध्यक्ष : आप (विपक्ष) दो मिनट बैठिए तो सही। (---व्यवधान---) अरे! एक मिनट ठहरिये तो सही। (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : आशा जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। (---व्यवधान---) आप लोग सुनिए, मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

मुख्य मंत्री : हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मंत्री गण, आप लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री) बैठिए और मुख्य मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। (---व्यवधान---)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने थ्रैट दी है।

मुख्य मंत्री : हमने कोई भी थ्रैट नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा था..(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग बैठिए प्लीज, अभी मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आप बैठिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष का इतना गुस्सा भी वाज़िब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है और न ही ऐसा कुछ कहा गया है। हमारी भी भावनाएं हैं। आप यहां पर सब कुछ कह कर चले गये, उससे हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। विधान सभा बजट सत्र का पहला दिन; मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ऐसी कोई मन्शा नहीं थी। हम तो चाहते थे कि आप हमारी बात सुनकर जाते लेकिन आप सुन नहीं पाये।

7.3.2018/1105/av/dc/2

फिर भी अगर हमारे मित्रों को ऐसा लग रहा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई है तो मेरी ऐसी कोई मन्शा नहीं थी। आप सदन के संचालन के लिए सहयोग करें, हम चर्चा के लिए

तैयार हैं। मुझे लगता है कि हमें चर्चा के माध्यम से सारे विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी विधान सभा का सत्र संचालन करने का जो आज से पहले का गरिमामय तरीका रहा है उस व्यवस्था को कायम रखते हुए हम आगे बढ़ें। मेरी इस प्रकार की कोई मन्शा नहीं है लेकिन उसके बावजूद ऐसा भी नहीं है कि आप हमको धमकी देते रहें और हम चुप रहें; ऐसा भी सम्भव नहीं हो सकता। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। (---व्यवधान---) आपने कहा कि यह हो जायेगा, वह हो जायेगा। तो ऐसा नहीं है, आप भी सब्र रखें और हम तो रखते ही हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है।

7.3.2018/1105/av/dc/3

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ। श्री इन्द्र सिंह जी ।

<u>प्रश्न संख्या : 16</u>

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने मेरे प्रश्न का बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है। लेकिन मैंने जो वहां जाकर देखा है उससे मुझे यह लगता है कि दिया गया उत्तर ग्राऊंड रीयलिटी से थोड़ा हटकर है। I strongly feel that presently it is more of a residential area than an industrial area. इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी उच्चाधिकारी को वहां भेजेंगे ताकि उस इंडस्ट्रियल एरिया की सही रिपोर्ट आपको मिलें और उस पर उचित कदम उठाये जा सकें? यह बड़ी प्राइम लैंड है जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक्वायर की गई है। यह एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों का संगम है। यहां पर इंडस्ट्री का बहुत पोटैंशियल है। क्या आप उस दिशा में भी कोई आकलन करेंगे कि इस इंडस्ट्रियल एरिया का और ऐक्सटैंशन किया जाए? मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने दो बातें रखी हैं। इन्होंने एक तो यह कहा है कि किसी उच्चाधिकारी को भेजकर वहां की वस्तुस्थिति के बारे में रिपोर्ट ली जाए

और यह भी बताया है कि उस एरिया को लोगों ने रेजिडैंशियल एरिया बना दिया है और इंडस्ट्री कम लगाई है।

7.3.2018/1110/टी0सी0वी0-एच0के0-1

प्रश्न संख्याः 16 क्रमागत्

माननीय उद्योग मंत्री...जारी

मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर हम उच्च अधिकारी को भेजेंगे, जो बातें आप बता रहे हैं या आपके मन के अन्दर शंका है, निदेशक, उद्योग वहां पर जाएंगे और उसकी छानबीन करेंगे।

दूसरा, आपने बताया है कि वहां पर इंडस्ट्रीज और डेवैल्प हो सकती है। आपको याद होगा कि जब पहले भी वहां पर इंडस्ट्रीज लगी थी, तो प्राइवेट एरिया एक्वायर किया गया था। यदि हमें वहां पर ज़मीन मिलती है, क्योंकि मुख्य मंत्री जी का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जो इनर कॉर्नर्ज हैं, उनमें जाएं। इसलिए यदि हमें वहां पर ज़मीन मिलती है, तो हम वहां पर निश्चित तौर पर अच्छे उद्योग लगा सकते हैं।

7.3.2018/1110/टी0सी0वी0-एच0के0-2

प्रश्न संख्याः 17

श्री सुख राम चौधरीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, ये दो स्कीमें हैं, जो वर्ष 2005 में नाबार्ड के तहत स्वीकृत हुई हैं। इनमें एक उठाऊ सिंचाई योजना अपराला कांशीपुर-निचला कांशीपुर और दूसरी किशनकोट गांव का छूटा हुआ एरिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन कारणों से अभी तक ये स्कीमें पूरी नहीं हुई है? इन स्कीमों को बनते हुए लगभग 13 साल का समय हो गया है। इन स्कीमों को पूरा करने के लिए अभी और कितने धन की आवश्यकता है और

कब तक इन स्कीमों को पूरा करके किसानों को सिंचाई के लिए समर्पित कर दिया जाएगा?

तीसरा, इन स्कीमों के अतिरिक्त पांवटा विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी स्कीमें हैं, जिनका 10 वर्ष से काम चला हुआ है? वे सिंचाई की स्कीमें अभी तक पूरी नहीं हुई है; वे कब तक पूरी होंगी; क्या माननीय मंत्री जी उन स्कीमों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय करेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन दो स्कीमों के बारे में जानकारी चाही है, हमने बड़े विस्तार से उसके बारे में कह दिया है। यह ठीक है कि वर्ष 2004-05 में इन स्कीमों का काम शुरू किया गया था और यह भी सही है कि 12-13 साल हो गये हैं; लेकिन अभी तक ये स्कीमें पूरी नहीं हुई है। ये स्कीमें कोई बहुत बड़ी भी नहीं हैं कि इनको पूरा करने में इतना समय लगना चाहिए था। इसमें निश्चित तौर पर कमी रही हैं। मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि एक स्कीम में 12 लाख रुपये की आवश्यकता है और दूसरी स्कीम में 10 लाख रुपये की आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों स्कीमों को 30 अप्रैल, 2018 से पहले-पहले पूरा करके वहां के लोगों को समर्पित करेंगे।

7.3.2018/1110/टी0सी0वी0-एच0के0-3

दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इनके विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर ऐसी कितनी स्कीमें हैं, जिनका लम्बे समय से काम चला हुआ है; लेकिन लम्बित पड़ी हुई है? मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ऐसी दो स्कीमें वॉटर सप्लाई की हैं और 9 स्कीमें इरिगेशन की हैं। ये जो 11 स्कीमें हैं,

07-03-2018/1115/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 17------ क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री------जारी

अध्यक्ष जी काफी समय पहले से इनका काम चला है। धन अभाव के कारण ये योजनाएं लम्बे समय तक लम्बित पड़ी हैं। आने वाले समय में जैसे-जैसे धन की व्यवस्था होगी उसी के मुताबिक इन स्कीमों को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे।

07-03-2018/1115/NS/HK/2

प्रश्न संख्याः 19

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि जो मैंने प्रश्न लगाया था इसमें उसका विवरण नहीं दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केंद्र नये खुले हैं और कितने अपग्रेड हुए हैं? जो स्वास्थ्य केंद्र नये खुले हैं क्या उनके लिए पिछले तीन सालों में कोई बजट का प्रावधान था, इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टॉफ था या नहीं? मैं इसका ब्योरा मंत्री महोदय जी से लेना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि भटियात विधान सभा क्षेत्र में कितने नये स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं? मैं पहले इनको यह बताना चाहता हूं कि भटियात विधान सभा क्षेत्र में लगभग 52 स्वास्थ्य संस्थान हैं। इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 217 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 86 पद रिक्त हैं। जहां तक इन्होंने नये स्वास्थ्य संस्थान के बारे में पूछा है तो कोई भी नया स्वास्थ्य संस्थान इनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं खुला है।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः सर, मुझे लग रहा है कि विभाग ने स्ट्डी नहीं की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पी0एच0सीज़0 नई खुली हैं- पी0एच0सी0 मेल और पी0एच0सी0 चुहण। आज मुश्किल यह है कि मैंने वहां पर दोनों जगहों में किसी से कमरा ले करके उन पी0एच0सीज़0 को चला रखा है। इन दोनों स्थानों पर डॉक्टर्ज़ मौजूद नहीं हैं। वहां पर डॉक्टर डेप्यूटेशन पर दो दिन आता है और दो दिन दूसरी जगह जाता है। मैं मंत्री महोदय जी से यह भी जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल, चुवाड़ी है और यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही हॉस्पिटल है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। वहां पर बाकी सब पी0एच0सीज़0 और सब-हैल्थ सैंटर हैं। यह सिविल हॉस्पिटल 61 पंचायतों को फीड करता है। वहां पर डाक्टर्ज़ और उपकरणों की कमी है। इन उपकरणों

को हैंडल करने वाले स्टॉफ की भी कमी है। मैं साथ ही माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सब-हैल्थ सैंटर सुखयार है, वह पिछले दस सालों से मोदला में चल रहा है जबकि मोदला में पी0एच0सी0 है। सुखयार ,मोदला से 14 किलोमीटर दूर है और पिछड़ा

07-03-2018/1115/NS/HK/3

क्षेत्र है। जब पहले भाजपा की सरकार थी तो उस समय यह सैंटर खोला गया था और वहां पर इसको चलाया भी गया था। मैंने यह सैंटर कमरा दे करके चलवाया था लेकिन पता नहीं इसको कब मोदला ले जाया गया? मैं मंत्री महोदय जी से गुज़ारिश करूंगा कि सुखयार में जहां पर इसका स्थान है वहां पर इसको चलाया जाए। आपने उत्तर में सुखयार एट मोदला लिखा है और मोदला में पी0एच0सी0 है। ये जो नये संस्थान खुले हैं इसके लिए भी मैंने पूछा था कि क्या इसके लिए बजट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टॉफ था? तो मंत्री महोदय इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें।

07.03.2017/1120/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 19... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी की बात की है, मैं माननीय सदस्य को इनके विधान सभा क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल, पी.एच.सीज. या हैल्थ सब-सैंटर्ज़ की अलग से जानकारी दे दूंगा। परन्तु इस समय चुवाड़ी की जो पोजिशन है, वहां पर कुल सैंक्शंड पोस्टें 8 हैं और इन पोजिशन 3 हैं। इसके अलावा इन्होंने चुहण,मेल का भी जिक्र किया है। तीसरा, सडल और चलारी अस्पताल इस समय बिना एम.ओज. व डॉक्टर्ज़ के चल रहे हैं। हमारी रिक्रूटमैंट या पद को भरने की निरंतर प्रक्रिया है। मैं माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारी यह कोशिश रहेगी कि जहां पर खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा जाएगा।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जो सब-सैंटर पर्टिकुलर नाम से है, वह सब-सैंटर वहां नहीं चलकर के पी.एच.सी. में चल रहा है। क्या आप उस सब-सैंटर को वहां पर स्थापित करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर वह सब-सैंटर कहीं और चल रहा है तो हम उसको ठीक करेंगे। ऐसा बहुत जगह है और हम उनको आने वाले दिनों में चुस्त-दुरुस्त करेंगे।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी और इन्होंने काफी विस्तृत जवाब भी दिया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि रिक्तियां हैं। जैसा इनके जवाब में भी है कि समोट में सैंक्शंड पोस्ट 1 है और वहां पर स्टाफ नर्सिज़ 3-3 लगी हुई हैं। ऐसा प्रदेश के अन्य जगह पर भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जहां पर सैंक्शंड पोस्ट से ज्यादा लोग लगे हुए हैं; क्या आप उन्हें रेशनालाइज करके चाहे वे डॉक्टर्ज़,नर्सिज़, ए.एन.एमस. या फार्मासिस्ट हों, उनको उन जगहों पर भेजेंगे जहां रिक्तियां हैं? क्योंकि सैंक्शड पोस्ट एक है और वहां पर तीन लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री बिक्रम सिंह जरयाल

07.03.2017/1120/RKS/YK-2

के निर्वाचन क्षेत्र में जो पी.एच.सीज. हैं उनमें भी स्टाफ नर्सिज की पोस्टें खाली हैं। क्या आप इनको पूरे प्रदेश में रेशनलाइज करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदया जी ने जो जानना चाहा है, वह दो महीनों में नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था पिछले 5 सालों के कारण हुई है। जहां-जहां इस प्रकार की अव्यवस्था है और पर्टिकुलरली जो इन्होंने स्टाफ नर्सिज़ या अन्य श्रेणियों से संबंधित प्रश्न उठाया है, हम उसको ठीक करेंगे।

07.03.2017/1120/RKS/YK-3

<u>प्रश्न संख्याः 20</u>

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसके अनुसार सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल, रोहड़ू के अंतर्गत 19 उठाऊ पेयजल परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिन कारणों से भी इन परियोजनाओं का कार्य रुका हुआ है, उसको जल्द-से-जल्द पूरा करने के आदेश दिए जाएं। दूसरा, जो पब्बर की चैनेलाइजेशन की बात है, इसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दिनांक 25.05.2015 को इसके लिए लगभग 190 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बजट के अभाव के कारण इसका कार्य रुका हुआ है। यह केंद्र सरकार की योजना है और क्या केंद्र सरकार ने जान-बूझकर इसका पैसा तो नहीं रोक दिया है? मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि यह जो सैंक्शंड स्कीम है इसका कार्य क्यों नहीं चल रहा है?

07.03.2018/1125/बी0एस0/वाईके-1

प्रश्न संख्याः 20...जारी....

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, 19 स्कीमें जो हैं वे उठाऊ पयेजल परियोजनाओं से संबंधित हैं और 19 की 19 जो हैं वे एन0आर0डी0ड्ब्ल्यू0पी0 **की** हैं । हिमाचल प्रदेश को जो भी भारत सरकार से पैसा आता है वह पैसा पूरे प्रदेश के लिए आता है। उस पैसे में से लगभग 20-22 करोड़ रुपया सिर्फ एक ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लिए खर्च किया जा रहा है। जबकि यह पैसा इतना ज्यादा नहीं होता। यह धनराशि पूरे वर्ष के लिए लगभग 65-66 करोड़ रुपये की ही मिलती है। ये बात हमारी समझ से भी बाहर है, यह 65-66 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में खर्च होना चाहिए था। 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों की जो ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं हैं, उनमें खर्च होना चाहिए था लेकिन पूर्व की सरकार ने इसे मात्र एक ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र में खर्च करने का प्रयास किया है। मैं

इस प्रश्न के 'क' भाग के उत्तर में माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि धन की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

दूसरी बात आपने फ्लड मेनेजमैंट के बारे में कही जो पब्बर नदी से संबंधित है। उसका अमाउंट 190.83 करोड़ रुपये का है और दिनांक 25.05.2015 को इसकी अनुमति CAG से हुई थी। अब यह भारत सरकार के पास है और भारत सरकार के पास वह लम्बित पड़ी हुई है। हम इसके लिए कोशिश करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अनेकों ऐसी फ्लड मेनेजमैंट की योजनाएं भारत सरकार के पास लम्बित हैं। कुछ परियोजनाएं माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर डिविजनों में, सर्कलों में, जोनल ऑफिसों में और जो हमारे इंजीनियर इन चीफ हैं उनके कार्यालय में अभी तक भी लम्बित पड़ी हैं। इसमें भी जो बैस्ट पोसिबल होगा वह करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमें आए हुए मात्र दो महीने हुए हैं। यह परियोजना 2015 से लम्बित पड़ी थी । उस वक्त की सरकार और उस सरकार की मंत्री महोदया के माध्यम से उस वक्त करवा ली होती तो आज यह स्कीम काफी हद तक पूरी हो सकती थी।

07.03.2018/1125/बी0एस0/वाईके-2

इसके बावजूद फिर भी प्रदेश सरकार/विभाग ने इस पर लगभग 53 लाख रुपये खर्च किया है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भारत सरकार के पास योजना लम्बित है उसको वहां से शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकृत करते हैं या नहीं तथा कब तक इसकी इंवेस्टमैंट क्लीयरेंस देते हैं।

07.03.2018/1125/बी0एस0/वाईके-3

प्रश्न संख्याः 21

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो बास्पा नदी है जो हमारे सांगला घाटी में बहती है, इसमें हर दूसरे-तीसरे वर्ष भारी फल्ड आने से इसके साथ लगते जितने भी गांव हैं, खासकर रकछम, थैमगरंग, बोनिंग सारिंग और सांगला इनको बड़ा नुकसान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डी0पी0आर0 बनाने के लिए ऑउटसोर्स से कोशिश की जा रही है और 14 लाख रुपये ऑउटसोर्स के लिए बात हुई है। क्या मंत्री महोदय आश्वस्त करेंगे कि जो धनराशि ऑउटसोर्स से डी0पी0आर0 बनाने के लिए मांगी गई है ,यह राशि उनको जल्द से जल्द दी जाएगी?

07.03.2018/1130/डीटी/एजी-1

प्रश्न संख्या: 21 ..**जारी**...

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी की चिन्ता बिल्कुल जायज़ है। इनके विधान सभा क्षेत्र से संबंधित फ्लड मनेजमैंट की एक डी.पी.आर. बनाने के बारे में ये आग्रह कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अन्दर फ्लड मनेजमेण्ट की अनेकों ऐसी डी.पी.आर्ज. हैं, जैसे नालों का तटीयकरण, खड्डों का तटीयकरण और नदियों का तटीयकरण, वे डी.पी.आर्ज लम्बित हैं और सभी माननीय सदस्य इस तटीयकरण के लिए धनराशि चाहते हैं। तटीयकरण के लिए जो निवेश है वह निवेश इतना ज्यादा होता है कि प्रदेश सरकार के फाइनेन्स विभाग को इस निवेश के लिए धनराशि उपलब्ध करवाना कठिन होता है। यह सारा भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि भारत सरकार प्रदेश सरकार की कितनी मदद कर सकती है। जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा, ऐसी अनेकों परियाजनाऐं हैं जो भारत सरकार के पास आज भी लम्बित पड़ी हुई हैं। वहां पर कितना शेयर हिमाचल प्रदेश का है उसी के मुताबिक वे हिमाचल प्रदेश को धनराशि देते हैं। माननीय सदस्य की चिन्ता ठीक है। मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह बड़ा लम्बा प्रोसैस है। अभी तो उन्होनें केवल मात्र सी0डब्ल्यू0 पी0आर0एस0, पूणे,

Mathematical Model Study के लिए 14,37,960/- रूपये की डिमाण्ड की है। परन्तु ऐसी अनेकों और भी योजनाऐं हैं जिनके लिए उन्होनें डिमाण्ड की हुई है। यह सारा धन की उपलब्धता के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे ही धन उपलब्ध होगा, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक धन उपलब्ध नहीं होगा तब तक यह कार्य मुश्किल है।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। माननीय मन्त्री महोदय ने इसका जवाब दिया है और मैं इसमें दो बाते जानना चाहता हूं। बस्पा नदी का तटीयकरण पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी के मुताबिक जिस समय जे.पी. के साथ एम.ओ.यू., बस्पा

07.03.2018/1130/डीटी/एजी-2

300 MW के लिए sign किया गया था,उस एम.ओ.यू. में शर्ते थीं। उस शर्त में एक शर्त यह थी कि जे.पी. कंपनी उस प्रोजैक्ट के निर्माण के साथ-साथ कम्पलसरी अफोरस्टेशन का कार्य करेगी और साथ ही कैचमैंट एरिया ट्रीटमैंट प्लान के तहत उसे पूरे तट को स्ट्रैंथन करने का कार्य भी करेगी। लेकिन मुझे आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वह प्रोजैक्ट उसके पास नहीं है। वह प्रोजैक्ट जिंदल ग्रुप के पास है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट में जो शर्त है और उस शर्त को पूरा नहीं किया हो तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जिसने इस प्रोजैक्ट को लिया है उसे उन शर्तों का पालन करना होगा? मेरा मानना यह है कि जब भी नई कंपनी के साथ कोई भी शर्त होगी तो पुरानी लायबिलीटीज उस कंपनी को लेनी होगी। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में आश्वासन देंगे कि इस शर्त को पूरा किया जाएगा क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रश्न है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है वह पॉवर मिनिस्ट्री से संबंधित है और फिर भी यदि माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री इसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य जी ने एक नई सूचना दी है, जोकि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। इस सूचना के मुताबिक इन्होंने कहा कि कैट या कैम्पा का पैसा जो आया हुआ है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी मैंने पहले ही कह दिया है कि ये प्रश्न आपके विभाग का नहीं है, यदि आपके पास उत्तर है तभी आप उत्तर दीजिए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास किसी एम.ओ.यू. या किसी एग्रीमैंट की टर्म्ज एंड कंडिशन्ज की कॉपी है तो उस कॉपी को आप माननीय पॉवर मिनिस्टर को दीजिए और उसके मुताबिक सरकार इस पर आगे चिन्तन कर सकती है।

07.03.2018/1135/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 21....जारी

अध्यक्ष : इस प्रश्न में अंतिम सप्लीमैंटरी श्री जगत सिंह नेगी जी पूछेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं; इस स्कीम में कितनी धनराशि ख़र्च होगी या यह स्कीम केंद्र से कब आएगी, उसके बारे में मैंने नहीं पूछा है। आप अगर किसी स्कीम की डी.पी.आर. ही नहीं बनाएंगे तो केंद्र से पैसे कहां से आएंगे और आपका विभाग क्या करेगा? विभाग वहां बैठे-बैठे हाथ धरे रह जाएगा। अब हम आपको कह रहे हैं कि आप डी.पी.आर. बनाइए। इसमें कुल 14.00 लाख रुपये की बात है। अगर आपका विभाग एक डी.पी.आर. को 14.00 लाख रुपया न दे सके और फिर अगर आप पूरे प्रदेश की बात करने बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि सिंचाई विभाग को ताला लगा देना चाहिए। क्या मंत्री जी इसकी डी.पी.आर. टाईम बाऊंड तरीके से बनवाएंगे?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर जब हम उस तरफ होते हैं तो हम भी ऐसा ही कहते हैं। नेगी जी, अभी सरकार को बने हुए मात्र 2 महीने हुए हैं।

अध्यक्ष : यानी आप इनका रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि यह सारी औपचारिकताएं ये हमारे आने से पहले स्वयं पूरी कर देते तो अब हम इस प्रोजैक्ट को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन अब आप इन सारी औपचारिकताओं को हमारे हवाले कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह पैसा डी.पी.आर. बनाने के लिए नहीं है। जो फ्लड मैनेजमैंट की टीम पूना से आएगी, वह इस धनराशि से इसकी स्टडी करेगी। यह पैसा उस स्टडी के लिए है। यह पैसा डी.पी.आर. बनाने के लिए नहीं है। डी.पी.आर. तो हम विभाग के माध्यम से बना देंगे। नेगी जी, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जो बैस्ट पौसिबल होगा, हम धन की उपलब्धता के मुताबिक वह सब करेंगे।

07.03.2018/1135/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या : 22

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार की समीक्षा विचाराधीन है, क्या आप उसके बारे में बताने की कृपा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न तो इनके विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं विस्तार से इसका उत्तर देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि आचार-संहिता लागू होने से पहले लगभग 103 नए स्वास्थ्य संस्थान अफरा-तफरी में खोले गए। मैं उनका आंकड़ा भी देना चाहता हूं। ऐसे 52 स्वास्थ्य संस्थान हैं जिनमें 26 एच.एस.सी. हैं, 26 पी.एच.सी. हैं। 25 संस्थान ऐसे हैं जिनको हैल्थ सब-सैंटर से अपग्रेड करके पी.एच.सी. कर दिया गया। लगभग 51 संस्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल नए सिरे से खोले गए या जिनकी घोषणा की गई। इस तरह इनकी कुल संख्या 103 बनती है। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई स्वास्थ्य संस्थान खुलता है तो वहां पर शायद राजनीतिक पैरामीटर्ज़ मायने नहीं रखते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कुछ मानक रखे हुए हैं, कुछ निर्धारित मापदंड रखे हैं, उनके मुताबिक क्या वह खरा उतर रहा

है, जनसंख्या के मापदंड को क्या वह फुलफिल कर रहा है, उसमें ओ.पी.डी. उतनी हैं, आई.पी.डी. उतनी हैं, यह बातें देखी जाती हैं। क्या घोषणाएं करने मात्र से संस्थान चलते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह देखा जाता है कि क्या वहां पर अधोसंरचना है? अगर है तो क्या वहां पर अन्य स्वास्थ्य संबंधी उपकरण इत्यादि हैं?

07/03/2018/1140/RG/DC/1

प्रश्न सं. 22---क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----क्रमागत

_इसलिए सरकार इस प्रकार के संस्थानों को समीक्षा के अन्तर्गत विचाराधीन रख रही है। अगर इन मापदण्डों को वे पूर्ण करेंगे, तो उनकी समीक्षा की जाएगी।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 103 के लगभग स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं क्या सरकार उनको बन्द करने का इरादा रखती है? अध्यक्ष महोदय, हरेक पैरा-मीटर भौगोलिक परिस्थतियों को देखकर तय किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ही ऐसी हैं और कई स्थानों पर तो पंचायतें ही 500 लोगों की हैं। इसलिए कई जगहों पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता थी और हमने दी। --(व्यवधान)---कागज़ों में दी, घोषणा की, अधिसूचना जारी की, फाईनैन्स का इन्तज़ाम किया और सब कुछ किया।

अध्यक्ष : श्री सुखविन्द्र सिंह जी, आपका प्रश्न आ गया, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो आ गया, एक मिनट और। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ सब-सेन्टर्ज को अपग्रेड किया गया है। उन हैल्थ सब-सेन्टर्ज जिनको अपग्रेड किया गया, पी.एच.सी. बनाया गया। वह मानकों के आधार पर ही बनाया गया। क्योंकि हैल्थ सब-सेन्टर्ज पहले खोले गए थे और 5-10 वर्ष के पश्चात जनसंख्या बढ़ी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन स्वास्थ्य संस्थानों को

आप धन उपलब्ध करवाइए क्योंकि ये अभी 6 महीने पहले ही खोले गए थे। इनको सुदृढ़ कीजिए। क्योंकि आपकी सरकार यह चाहती है।

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसका उत्तर दें, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यदि मेरी जानकारी सही है, तो हैल्थ सब-सेन्टर्ज बिल्कुल अलग चीज है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्कुल अलग चीज है। Health Sub-Centres cannot be upgraded as Primary Health Sub-Centre और हैल्थ सब-सेन्टर का कार्य एवं उसका कार्य-संचालन बिल्कुल अलग है। उसको as it is रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप नई पी.एच.सीज़. बना सकते हैं, वह

07/03/2018/1140/RG/DC/2

सरकार की मर्जी है। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, कृपया उत्तर दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने जो जानना चाहा है कि अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थान खोलने के लिए ये जो चुनावों से पहले घोषणाएं की गई थीं इनके बारे में सरकार की क्या नीयत है? अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार इतनी जल्दबाजी में थी कि अभी हाल में ही एक विषय हमारे पास आया कि एक स्वास्थ्य संस्थान की घोषणा जसूर के नजदीक माननीय श्री राकेश पठानिया जी के चुनाव क्षेत्र में कर दी । हमने उस बारे में कई फाईलें देखीं, परन्तु वह कोई स्थान ही नहीं मिला, कोई जगह ही नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, उसकी अधिसूचना जारी कर दी। अब वह कहां है?---(व्यवधान)-----

अध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, कृपया शांत रहें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : तो उस सरकार की गंभीरता वहीं से नजर आ रही है। पहली बात तो यह थी। अध्यक्ष महोदय, ये इतनी जल्दबाजी में थे कि घोषणा हो गई और वित्त विभाग से उसकी कोई अनुमति ही नहीं ली। स्वतः ही घोषणाएं होती रहीं और उसकी जानकारियां उन विधान सभा क्षेत्रों में दी जाती रही। मैं अनुमान लगा रहा था कि जितने संस्थान खोले हैं उनमें से 70% तो अव्यवहारिक हैं। न वहां अधोसंरचना है, न वहां

जनसंख्या के मापदण्ड फुलफिल करते हैं और न ही वहां वैकेन्सी पोजीशन है। ये मात्र 30% ही फिजीबल होंगे।

07/03/2018/1145/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 22 क्रमागत---
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---------

इसलिए सरकार की यह नीयत है कि समीक्षा करेंगे और इसीलिए हमने प्रश्न के उत्तर में एक "समीक्षा" शब्द गुण और दोष के आधार पर जोड़ा है। माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और यह सरकार कभी भी स्वास्थ्य मानकों के साथ समझौता करने वाली नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो महीनों में लगभग 200 डॉक्टर्ज के आदेश हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में हुए हैं। मैं यहीं विषय को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः इस प्रश्न के लिए मैं अभी दो सैप्लीमैंट्री अलाऊ करूंगा। अब माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो स्वास्थ्य मंत्री जी अपना उत्तर माननीय सदन में दे रहे हैं मैं उनसे प्रश्न के दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहला तो यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि मानकों के मुताबिक ये स्वास्थ्य संस्थान नहीं खुल सकते थे। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जितने भी स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं; ये संस्थान कभी भी खुले हों, चाहे आपकी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, क्या ये सब मानकों के आधार पर खुले हैं? दूसरे, केन्द्रीय सरकार की पॉलिसी के मुताबिक जहां पर आयुर्वेद संस्थान है वहां पर एलोपैथी का संस्थान नहीं खुलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी जगहों पर एलोपैथी के संस्थान खोले गए हैं। तीसरे, जैसे मंत्री जी ने कहा कि जहां पर अधोसंरचना नहीं है वहां पर नोटिफिकेशन हो गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो अधोसंरचना है क्या वह पहले होती है या पहले संस्थान को खोलने की घोषणा होती है? जब भी संस्थान खोलने की घोषणा होती है उसके

बाद स्टाफ की सैंक्शन कैबिनेट से होती है और उसके बाद वह नोटिफिकेशन आगे होती है। मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि पी0एच0सी0 जो खुलनी है उसके उपकरण और उसकी बिल्डिंग प्रदेश में पहले बना दी गई हो और उसके बाद उसको खोलने की घोषणा की गई?

07/03/2018/1145/MS/DC/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो यहां पर प्रश्न पूछा है, उसमें ऐसा है कि जो भी सरकार है उसकी नीयत क्या है। मैंने नुरपूर विधान सभा क्षेत्र का एक उदाहरण दिया। उस मामले को लेकर हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की किरकिरी हुई। इनको उससे कितना फर्क पड़ा यह मुझे नहीं पता और अगर फर्क पड़ा होता तो ये विपक्ष में नहीं बल्कि पक्ष में बैठे होते। सुक्खु जी, मेरी बात सुनिए। इसलिए ये जितने स्वास्थ्य संस्थान खोले गए, यहां पर फिजिबिल्टी जनहित को न रखते हुए जो कोई आ गया कि आपको क्या चाहिए? .. नहीं, नहीं, हम आपको सिविल अस्पताल देंगे, आपको पी0ए0सी0 की जरूरत नहीं है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप प्रश्न का उत्तर दीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर यही है कि पूर्व में जो स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं वहां पर मानकों का ध्यान अवश्य रखा जाता रहा है। चाहे जनसंख्या की बात हो या अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ध्यान अवश्य रखा जाता है। अगर ध्यान नहीं रखा होता, जैसे आप लोगों ने नहीं रखा तो प्रदेश में आज जो स्वास्थ्य संस्थान हैं; आप भी कई बार कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर्ज और पैरा-मेडिकल स्टाफ भेजो या बिल्डिंग के लिए पैसा भेजो तो सारी बातों के लिए अगर व्यवस्था की होती तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का माहौल नहीं बनता। तो कुल-मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि गुण-दोष के आधार पर ही जो स्वास्थ्य संस्थानों की घोषणाएं हुई हैं, उनको समीक्षा के आधार पर कन्टीन्यू करेंगे।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपको हैल्थ की बहुत नॉलेज है और इस विषय पर बहुत लम्बी बहस चल पड़ी है

07.03.2018/1150/जेके/एच0के/1

प्रश्न संख्याः 22ः-----------जारी----

श्री राकेश पठानियाः-------जारी--------

और जो जसूर का नाम आया उस पर मैं एक बड़ा उदाहरण पिछली सरकार का देना चाहता हूं। पी0एच0सी0 जसूर एक ब्लॉक के कार्यालय में चल रही थी, ब्लॉक की दुकानों में चल रही थी। हमें यह आदेश हुआ कि एन0आर0एच0एम0 पैसा नहीं दे पाएगा क्योंकि यह जगह स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। हमनें उसके साथ ही एक जगह ढूंढी। एक आदमी ने उस जगह को दान में दिया। मैंने उस पी0एच0सी0 का शिलान्यास किया और उसका काम शुरू कर दिया। वह पी0एच0सी0 कम्पलीट हो गई। सरकार हार गई और व्यवस्था बदल गई। जहां पर वह ब्लॉक की बिल्डिंग के अन्दर पी0एच0सी0 थी उसके तुरन्त बाहर ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान की मैडिकल स्टोर की दुकान थी। वह पी0एच0सी0 वहां पर बन गई। हम विपक्ष में थे, हमने कहा कि इसमें सरकारी पैसा लगा हुआ है उसको वहां से शिफ्ट करें लेकिन इन्होंने उस पी0एच0सी0 के अन्दर, जहां पर मैंने शिलान्यास किया था, उसके ऊपर पिछले स्वास्थ्य मंत्री जी ने बी0एम0ओ0 की प्लेट लगवा ली। आप मुझे बताएं कि किस पी0एच0सी0 में बी0एम0ओ का ऑफिस खुल सकता है? The BMO has to be in a hospital, either in a civil hospital or in a referral hospital. इस तरीके की तो ये करतूतें करते रहे और अब आप मंत्री जी से ज़वाब मांग रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका मंत्री जी से क्या पूछना चाहते हैं?

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही जानना चाह रहा हूं कि क्या यह सत्य है कि पी0एच0सी0 करनाला Jassur is a part of Karnala panchyat जो वहां पर करनाला पंचायत में सरकारी पैसे से, एन0आर0एच0एम0 के पैसे से पी0एच0सी0 बनी है, वह पूरी तरह से बन गई है और मैंने उसका शिलान्यास किया है तो क्या उसका उद्घाटन पिछले स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है? Is it valid or not?

07.03.2018/1150/जेके/एच0के/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी यदि आपके पास उत्तर है तो आप दे दें अन्यथा आप माननीय सदस्य को सूचना प्रेषित करवा दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर की कॉपी मैं इन्हें उपलब्ध करवा दूंगा और अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो उसकी छानबीन करेंगे। उसमें न्याय मिले उसकी हम कोशिश करेंगे।

07.03.2018/1150/जेके/एच0के/3

Question No : 23

Shri Hoshyar Singh: Thank you, Speaker, Sir, I want to know regarding the pending pension cases for old age, widows and for handicapped. I also want to know that why these cases are pending since long time?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने निर्वाचन क्षेत्रवार सूचना चाही है। निर्वाचन क्षेत्रवार सूचना मैं इन्हें उपलब्ध करवा दूंगा लेकिन देहरा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न निर्वाचन क्षेंत्रों में वर्तमान में विधवा पैंशन के 677 प्राप्त आवेदनों में से 522 स्वीकृत किए गए और 95 मामले लम्बित है। अपंग राहत भत्ता के प्राप्त 369 आवेदन पत्रों में से 317 स्वीकृत किए गए तथा 52 मामले लम्बित है। बुढ़ापा पैंशन के प्राप्त 4416 आवेदन पत्रों में से 4181 स्वीकृत किए गए तथा 235 मामले लम्बित है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पैंडेंसी क्यों है? अध्यक्ष महोदय, पैंशन एक निरन्तर प्रक्रिया है। नये मामलें जब आते हैं तो उसके मुताबिक बजट में प्रावधान के साथ पैंशन हेतु पैसे की व्यवस्था की जाती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही हमें धनराशि प्राप्त होगी इन सभी लम्बित मामलों को निपटा दिया जाएगा।

07.03.2018/1155/SS-HK/1

प्रश्न संख्याः 23 क्रमागत

Shri Hoshyar Singh: Sir, in this country maximum number of people have the Aadhar Card which indicates the age clearly. हर किसी की उम्र उस आधार कार्ड पर लिखी गई है। Why an old man aging 80-90 years has to go the Department to file his case? Why a widow has to go to each and every department to declare that she is widow when a Panchayat knows that her husband is no more. There should not be linger-longing and pensions should be given as per the Aadhar Card. The Government of Himachal Pradesh should adopt a policy or a system for this. In my constituency, more than 2000 cases are pending. It is so because their paper formalities are not completed. उनके कुछ-न-कुछ पेपर रह जाते हैं, अब एक 80-90 साल का बुजुर्ग कहां दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, कौन ले जायेगा? जब आधार कार्ड पर उसकी उम्र ऑलरेडी है तो क्यों नहीं उसे डायरैक्टरली पैंशन दी जाती है? This is my question. Speaker, Sir, with your permission I want to ask a supplementary. I want to put this question again.

अध्यक्षः माननीय होशयार सिंह जी का जो प्रश्न है मुझे लगता है कि इसके ऊपर आप अलग से डिबेट मांग सकते हैं क्योंकि अभी आपने विधान सभा क्षेत्र के परटीकुलर मामलों की जानकारी चाही है। आपकी अगली सप्लीमेंटरी क्या है, आप ज़रा उसे साथ ही पूछ लें।

Shri Hoshyar Singh: Sir, I want to put the same question. The Old Age Pension should be given on the basis of Aadhar Card.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह बिल्कुल वाजिब है लेकिन पैंशन दिये जाने संबंधी जो वर्तमान नियम हैं उनकी अनुपालना होना आवश्यक है। **जो आपने कहा, यह ठीक है कि नियमों का सरलीकरण होना चाहिए। यह अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि इस हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर नीतिगत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपका सुझाव बिल्कुल अच्छा है, इसके ऊपर विचार किया जायेगा और कार्रवाई भी की जायेगी। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।**

अध्यक्षः यह देहरा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है फिर भी मैं श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु को अंतिम सप्लीमेंटरी के लिए आमंत्रित करता हूं।

07.03.2018/1155/SS-HK/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो वृद्धावस्था पैंशन की उम्र है वह 80 साल से घटाकर 70 साल कर दी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देहरा उप-मंडल में जो आपने आंकड़े बताए हैं, क्या इन आंकड़ों में 70 साल के हिसाब से भी उनको पैंशन उपलब्ध करवाई जायेगी, जिनके फार्म भरे होंगे? क्योंकि माननीय मुख्य जी ने कहा था कि 1 जनवरी से वृद्धावस्था के मामले में 80 साल की उम्र को घटाकर 70 साल कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः मैं निश्चित तौर से सम्माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आयुसीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की है। यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है और बहुत लोग इसका लाभ पूरे प्रदेश भर में ले पायेंगे। यह बात ठीक है कि अभी जो हमारे तहसील कल्याण कार्यालय हैं उनके माध्यम से सभी पैंशनर्ज़ की हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं और यह पैंशन एक जनवरी से इफैक्टिव मानी गई है।

07.03.2018/1155/SS-HK/3

प्रश्न संख्याः 24

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आया है कि केवल स्टाफ नर्स का एक पद रिक्त है, बाकी पद भरे हुए हैं और वहां पर स्टाफ भी मौजूद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि कुफरी दूर नहीं है जब कभी आपका दौरा लगे तो आप वहां ज़रूर जाएं। मैं बताना चाहूंगा कि वहां केवल एक आदमी डयूटी दे रहा है। अगर आप अभी किसी अधिकारी को वहां भेजेंगे तो पायेंगे कि केवल एक आदमी वहां डयूटी दे रहा है। बाकी डॉक्टर्ज़ भी डैपुटेशन पर हैं क्योंकि सारे लोग रिपन आना चाहते हैं या शहरों में आना चाहते हैं।

07.03.2018/1200 /केएस/ वाईके/1

प्रश्न संख्या-24 जारी...

श्री अनिरुद्ध सिंह जारी----

तो आपसे निवेदन है, क्योंकि कुफरी एक पर्यटक स्थल है और हजारों पर्यटक वहां आते हैं। आसपास के गांव वालों को भी शिमला आना पड़ता है। वहां पर एक्सरे से लेकर बाकी भी सभी मशीने डोनेट की गई हैं। आपसे आग्रह है कि वहां से यदि कोई डॉक्टर डैपुटेशन पर गए हैं तो उनकी डैपुटेशन कैंसिल की जाए । वहां पर वैसे तो सभी पद भरे हुए हैं लेकिन सिर्फ वहां से डॉक्टर तनख़्वाह ले रहे हैं इसलिए या तो उनको वहां से रिलीव करके दूसरी जगह लगाया जाए ताकि कोई और डॉक्टर वहां पर आ सके या फिर उनकी डैपुटेशन कैंसल की जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके अनुसार तो जो 8 स्वीकृत पद हैं, वे भरे पड़े हैं और एक स्टाफ नर्स का पद खाली है। जैसे इन्होंने चिन्ता प्रकट की कि कुछ डॉक्टर्ज़ डैपुटेशन पर है तो विभाग के ध्यान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपने अगर डैपुटेशन की बात की है तो वहां पर चुनावों से पहले एक पोस्ट के खिलाफ दो डॉक्टर काम कर रहे थे उसमें से अब एक डॉक्टर को मैंटल होस्पिटल शिमला में काम के प्रैशर को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसके अलावा अगर आपके ध्यान में कोई और भी है तो आप उस जानकारी को हमसे शेयर कर सकते हैं।

07.03.2018/12.00 /केएस/ वाईके/2

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय श्री इन्द्र सिंह जी। मैंने प्रश्न अनाउन्स कर दिया है, 12.00 बज गए हैं इसलिए उसका उत्तर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्याः 25

प्रश्न काल समाप्त

07.03.2018/12.00 /केएस/ वाईके/3

कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः

अध्यक्षः अब माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेंगें।.

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम-67 के तहत एक नोटिस दिया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं उत्तर देता हूं। आप दो मिनट बैठिए। उसके बाद अपनी बात रखिएगा। जो आपका विषय आया है, मैं उसको बता देता हूं। (व्यवधान) आप पूरी बात रखिएगा। मेरी बात तो होने दो। माननीय हर्षवर्धन जी, आप बैठिए। मैं आपको समय दूंगा।

आज प्रातः 9 बजकर 40 मिनट पर माननीय श्री हर्षवर्धन जी द्वारा नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना हमें प्राप्त हुई है जो कि श्री जगत सिंह नेगी व श्री नन्द लाल, माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है।

माननीय सदस्यों ने वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में किये जा रहे तबादलों से सम्बन्धित विषय पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो नियम संचालन प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो विषय किसी ....(व्यवधान) एक मिनट मुकेश जी, ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह है कि आप व्यवस्था देने से पहले माननीय सदस्य को सुन लीजिए।

अध्यक्षः मेरी व्यवस्था आने दो, मैं आपको समय दूंगा। ......(व्यवधान).... हर्षवर्धन जी, मैं आपको समय दे रहा हूं । मैंने कहा है कि मैं आपको समय दे रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज़। स्पष्ट है कि "जो किसी अन्य प्रक्रियागत माध्यम से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्न,अल्प सूचना प्रश्न, आधे घण्टे की चर्चा एवं अल्पकालीन चर्चा आदि से उठाया जा सकता है, उसे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। "व्यवस्था देने से

पहले आपको समय दूंगा और माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन जी का प्रश्न इसी सम्बन्ध में हमारे पास आया है जो सरकार को प्रेषित है और वह आगे लगने वाला है।

7.3.2018/1205/av/yk/1

अध्यक्ष क्रमागत -----

हर्ष जी, मैं आपको समय दे रहा हूं और इसमें मेरा कहना है कि Parliamentary Practice by Kaul and Shakdher page 537-538 " A matter which can be raised under any other.." ---(interruption)---. मैं आपको समय दे रहा हूं। अभी फैसला नहीं दे रहा हूं। मुकेश जी, आप मेरी बात समझिए। मैं फैसला नहीं दे रहा हूं, इनको समय दे रहा हूं। क्या आप नहीं चाहते कि इनका समय रिकार्ड में आए? (---व्यवधान---) मैं जब रिकार्ड में समय दे रहा हूं तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? मैं इनको बोलने के लिए समय दूंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। मुकेश जी, अगर आप सहयोग नहीं देना चाहते तो वह अलग बात है। व्यवस्था का पन्ना अलग है और मैं व्यवस्था बाद में दूंगा। उससे पहले मैं इनको बोलने के लिए समय दूंगा। अच्छा आप दो मिनट बैठिए, मैं इनको समय दे रहा हूं। हर्ष जी, आप मेरे जिला से आते हैं और मैं आपको समय दे रहा हूं, आप ठहरिए। "A matter which can be raised under any other procedural device, viz., calling attention notice, questions, short notice questions, half-an-hour discussions, short duration discussions, etc. cannot be raised through an adjournment motion." अब माननीय हर्ष जी अपनी बात कहें, बाद में मैं व्यवस्था दूंगा।

7.3.2018/1205/av/yk/2

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज इस प्रदेश में थोक में तबादले किए जा रहे हैं। 3 फरवरी को धर्मशाला में कैबिनेट मीटिंग में तबादलों पर प्रतिबंध लग गया है। वर्तमान सरकार द्वारा इस वक्त प्रदेश में लगभग 20,000 से ज्यादा

तबादले किए गये हैं। विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई विभाग खाली कर दिए हैं। बेलदारों के तबादले एक कोने से दूसरे कोने में कर दिए गए हैं। आजकल बच्चों के इग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन सरकार फिर भी अध्यापकों के तबादले जोर-शोर से कर रही है। कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ट्रांसफर पालिसी बनी हुई है और उसके अनुसार जिस व्यक्ति की रिटायरमैंट के लिए दो साल से कम समय रहता है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त विधवा महिला, अपंग इत्यादि को ट्रांसफर पॉलिसी में प्रोटैक्शन है। मगर कानून की धिज्जयां उड़ाई जा रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर उद्योग पनप रहा है (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है।

श्री हर्षवर्धन चौहान : तबादले जोर-शोर से हो रहे हैं।

Speaker: Not to be recorded.---(interruption)---. माननीय सदस्य, इसके ऊपर व्यवस्था दी जाती है कि बजट में व अन्य किसी माध्यम से आप अपने विषय को उठा सकते हैं। इसके लिए नियम 67 का उपयोग सही नहीं है। इसलिए जो नोटिस है वह स्वीकार नहीं किया जाता। (---व्यवधान---) माननीय मुकेश जी, आप इनको बैठाइए तो मैं आपको समय देता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, जब हम बोलते हैं तो माइक ऑन नहीं किए जाते।

अध्यक्ष : अगर आपके साथ अन्य खड़े हुए माननीय सदस्य सीट पर बैठेंगे तो आपको बोलने के लिए अलाऊ करते हैं। आपके लिए माइक ऑन है, आप बोलिए।

7.3.2018/1210/टी0सी0वी0-वाई0के0-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री: अध्यक्ष महोदय, मरे हुए लोग बदल दिये, रिटायर्ड लोग बदल दिये, ये सरकार कर क्या रही है?

अध्यक्षः ये चर्चा नियम-67 के अन्तर्गत अलाऊड नहीं है, आपको किसी भी मद में चर्चा देंगे, हम अलाऊ करेंगे। ---(व्यवधान)--- माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ---(व्यवधान)---

संसदीय कार्यमंत्री (श्री सुरेश भारद्वाज)ः अध्यक्ष महोदय, ---(व्यवधान)--- हर्षवर्धन जी सुन लीजिए, आप सब कुछ बोलना। ---(व्यवधान)--- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हषवर्धन जी ने प्रदेश की सरकार के एक विषय पर सवाल उठाए हैं। ये किसी भी मद के अन्तर्गत नोटिस दे दें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इसके लिए सारे सदन की प्रक्रिया खत्म की जानी चाहिए? सर, इसी नोटिस को चर्चा में कंवर्ट कर दीजिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ---(व्यवधान)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि मरे हुए लोगों की ट्रांसफर कर दी है। ये उनकी लिस्ट दे दें, हम उसको देखेंगे। ---(व्यवधान)--- माननीय अध्यक्ष जी किसी भी अन्य रूल के अंदर इसको कंवर्ट कर दीजिए या इसमें नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ---(व्यवधान)---

(विपक्ष के सभी सदस्य नारेबाज़ी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी और आज भी बिना किसी इशु के, बिना किसी मुद्दे के, मुद्दा बनाने का प्रयास हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था के अनुसार और जो रूल्ज़ हैं, उसके मुताबिक नियम-67 के अन्तर्गत इस प्रकार के विषयों को टेकअप नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी अन्य रूल के अन्तर्गत, अल्पकालीन चर्चा या नियम-117 या 130 में चर्चा करें,

7.3.2018/1210/टी0सी0वी0-वाई0के0-2

हम हर प्रकार की चर्चा के लिए इस विषय पर तैयार हैं। हम चाहेंगे कि ये जिस प्रकार के यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि मरे हुए लोगों की ट्रांसफर कर दी गई है। ये उनकी लिस्ट दे दें। हम भी जानना चाहेंगे कि किसकी इस प्रकार से ट्रांसफर हुई है, जबकि इनके शासन में, पिछले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों की ट्रांसफर इन्होंने की है। इतना ही नहीं

माननीय मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में 6 अलग-अलग स्थान थे, जहां से ट्रांसफर के नोट जाते थे और एक ही ट्रांसफर पर 6 तरह के नोट आ जाते थे। इनके शासन काल में ट्रांसफर का पूरा माफिया बना हुआ था। ये जानबूझकर, बिना मुद्दे के मुद्दा बनाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश की जनता की आंखें इस सदन पर लगी हुई हैं, महत्वपूर्ण विषय यहां पर लगे हुए हैं। आज अनुपूरक बजट पारित होना है, लेकिन उसमें ये भाग न ले करके केवलमात्र अपने राजनीतिक कारणों से वाकआउट कर रहे हैं, जिसकी जितनी कड़ी निन्दा की जा सकती है, की जाये। अगर मुद्दों के ऊपर ये वाकआउट करते हैं, हम इनका स्वागत करेंगे। ये कोई भी विषय सदन में ला सकते हैं, हम हर उस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

07-03-2018/1215/NS/AG/1

माननीय संसदीय कार्य मंत्री----- जारी।

लेकिन उसमें पर्टिकुलर रूल जो रूल बुक में है या हमारे "कॉल एण्ड शकधर" जो हैं वे ऑथोरिटी हैं। जिनको हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑथोरिटी के रूप में माना जाता है। इसके अन्तर्गत इनके पास पूरा मौका है। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। नियम-101, नियम-117, नियम-130 में प्रस्ताव ला सकते हैं। ये अल्पकालीन चर्चा नियम-62 और नियम-63 के अन्तर्गत ला सकते हैं। जिस मर्ज़ी रूल पर ये लोग चाहें, हम इस विषय पर चर्चा करने को हमेशा तैयार हैं लेकिन इस प्रकार के व्यवहार की हम कड़ी निन्दा करते हैं।

अध्यक्षः मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों के अन्दर व्यवस्था देने से पहले पूरे नियमों को कोट किया। "कॉल एण्ड शकधर" का हिन्दी और अंग्रेज़ी रूपांतरण में कोट किया। माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन जी के प्रश्न की कापी भी यहां पर लगी हुई है और यह बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है "that how many transfers of Government employees have been done by the present Government upto 15th February, 2018 in various departments, boards and corporations; district-wise detail may be provided?" तो वे अपने प्रश्न के सम्बन्ध में भी चर्चा कर सकते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

07-03-2018/1215/NS/AG/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम सचमुच में विपक्ष के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से बहुत आहत हैं कि हर दिन अख़बार में खबर बने और उस खबर में इनका नाम हो। मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। इस सोच से हट करके काम करने की आवश्यकता है। मैं यहां पर कुछ मित्रों को देख रहा था जो उछल-उछल करके यहां पर बोल रहे थे। मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन इस माननीय सदन में पिछले बीस वर्षों से मैंने देखा है कि जो ज्यादा उछलते हैं वे वापिस नहीं आए हैं। उनमें से अधिकांश दूसरी बार देखने को नहीं मिले हैं। अगर कोई गम्भीर विषय हो जिस पर लगता है कि चर्चा करना आवश्यक है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल का जिस माननीय सदस्य ने ज़िक्र किया है, वे पिछले पांच वर्षों में खुद यहां पर नहीं थे। एक प्रश्न विधान सभा के पहले सत्र से ले करके अन्तिम सत्र तक चलता रहा, पांच वर्षों के कार्यकाल तक चलता रहा और जिसमें यह पूछा गया था कि कितने स्थानांतरण हुए? सूचना एकत्रित की गई लेकिन इसके बावजूद भी पांच वर्षों में उसका जवाब नहीं आया। विपक्ष हमसे दो महीने का हिसाब पूछ रहा है। हम आंकड़ा देने के लिए भी तैयार हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर दो महीने का आंकड़ा इनका (विपक्ष) शुरू का निकाला जाये और दो महीने का आंकड़ा हमारा निकाला जाये तो हमारे आंकड़े से कई गुणा ज्यादा इनके तबादले हुए हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं। इन्होंने नियम-67 को ऐसा बना दिया है कि इसको हर रोज़ लगा देते हैं। मुझे लगता है कि इतना परिहास इस माननीय सदन का नहीं होना चाहिए। इस माननीय सदन की एक स्थापित व्यवस्था रही है। जो नियम बने हैं उनका पालन करना चाहिए। आज मुझे गाड़ी में आते-आते एक मित्र का फ़ोन आया और वे कहने लगे कि आप भी इसका इस्तेमाल करते थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इसमें दिन-रात का अन्तर है, शायद वे विषय गम्भीरता के थे। आज जिन विषयों पर इस माननीय सदन में नियम-67 का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी गम्भीरता कितनी है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी है कि जो पिछली बार हुआ है अबकी बार भी वही हो। यह जरूरी नहीं है। विपक्ष वाले मित्रों को इस बात को समझना चाहिए, अगर नहीं समझते हैं तो ज़नता अपने आप

समझा देती है और दो महीने पहले ही समझाया है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं लेकिन चर्चा का माहौल तो पैदा करने की

07-03-2018/1215/NS/AG/3

कोशिश करें और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। हमारे इस माननीय सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य जी को भी ये हाथ पकड़ कर बाहर ले करके चले गये।

07.03.2017/1220/RKS/YK-1

मुख्य मंत्री महोदय .... जारी

उनका मन बाहर जाने का नहीं था। मुझे लगता है कि वे सारी बातों को समझते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनका सहारा लेकर उनके सामने यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बेहतर ढंग से इस माननीय सदन में परफॉर्म कर रहे हैं और पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे मित्रों का कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, कोई मकसद नहीं रह गया है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो वॉक आउट किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यहां पर ज़िक्र किया गया कि मरे हुए लोगों की ट्रांसफर हुई। जो लोग रिटायर हुए हैं उनका आंकड़ा, नाम व पता हमें दें, हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वे झूठ बोलकर ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं और इनका इतिहास भी ऐसा ही रहा है। हम इन सभी चीजों से वाकिफ़ हैं लेकिन इसके बावजूद भी मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो सदन की स्थापित परंपरा है, उनके प्रति सम्मान करते हुए सदन को चलाने में सहयोग दें। जितने भी मुद्दे यहां पर लोक महत्व के उठाए जाएंगे हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, इसमें क्लैरिफिकेशन का इश्यू नहीं है क्योंकि यह विषय चर्चा में आया ही नहीं है। जब विषय चर्चा में आएगा तो उसकी क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप बैठिए, मैं आपकी बात बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)... विषय नियम-67 के ऊपर चर्चा के लिए स्वीकार नहीं हुआ है। विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया है। बहिर्गमन होने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने बयान दिया है। नियम-67 और ट्रांसफर

07.03.2017/1220/RKS/YK-2

पॉलिसी पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन का प्रश्न ही नहीं है। जब नियम-67 या ट्रांसफर की चर्चा होगी तो उसके ऊपर आप भाग लेंगे। ...(व्यवधान)... ।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मुझे उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह नियम के अंतर्गत होगा। ...(व्यवधान)... जब नियम-67 की चर्चा ही नहीं हुई। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।...(व्यवधान)... ।

कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट) कार्य सलाहकार समिति के प्रथम् प्रतिवेदन (तेहरवीं विधान सभा) को सभा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि इसे अंगीकार किया जाए।

श्री इन्द्र सिंह(सरकाघाट)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन (तेहरवीं विधान सभा) को सदन में प्रस्तुत करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने प्रथम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने प्रथम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह मान्य सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने प्रथम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

(प्रस्ताव स्वीकार)

07.03.2017/1220/RKS/YK-3

सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयनः

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री, डॉ0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1) बी (7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का डॉ वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।

07.03.2018/1225/बी0एस0/डी0सी0-1

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11 (1) (बी 7) के अुनसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी

हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11 (1) (बी 7) के अुनसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

प्रस्ताव स्वीकार।

07.03.2018/1225/बी0एस0/डी0सी0-2

अब माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोर्ट, शिमला में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनित करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि :"That in pursuance of Statute 8 (i)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University Court in the notification subject to other provisions of the said Statutes."

तो प्रश्न यह है कि:"That in pursuance of Statute 8 (i)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University Court in the notification subject to other provisions of the said Statutes."

प्रस्ताव स्वीकार

07.03.2018/1225/बी0एस0/डी0सी0-3

<u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अंतिम किश्त) वित्तीय वर्ष 2017-18</u>

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किश्त) पर चर्चा होगी जो आज ही समाप्त होगी तथा मांगों पर मतदान भी आज ही होगा। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी पारित होगा।

(सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकते हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग है चर्चा का उत्तर देंगे।)

अब वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की ओर से सभी मांगों को प्रस्तुत हुआ समझा जाए, जो इस प्रकार है:-

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत
1	2		3
1	विधान सभा	(राजस्व)	4,21,94,086
		(पूंजी)	30,00,000
2	राज्यपाल और मंत्री परिषद	(राजस्व)	2,70,10,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	15,98,53,203
		(पूंजी)	12,99,98,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	19,52,85,900
		(पूंजी)	1,84,17,000
5	भू–राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व)	1,06,02,67,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	9,23,25,000
7	पुलिस और सम्बद्ध	(राजस्व)	91,33,39,868
	संगठन	(पूंजी)	68,03,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	2,79,57,66,277
		(पूंजी)	94,57,03,000
9	स्वास्थ्य और परिवार	(राजस्व)	1,62,29,78,500
	कल्याण	(पूंजी)	1,25,62,01,000
10	लोक निर्माण–सड़क पुल तथा भवन	(राजस्व)	1,55,70,32,000
		(पूंजी)	1,35,41,63,000

2

11	कृषि	(राजस्व)	31,72,14,296
12	उद्यान	(राजस्व) (पूंजी)	46,26,72,828 12,00,00,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व) (पूंजी)	1,77,80,67,515 77,94,52,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व) (पूंजी)	20,000 39,98,000
15	योजना एवं पिछडा क्षेत्र उप योजना	(राजस्व) (पूंजी)	21,85,87,000 66,47,50,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व) (पूंजी)	18,81,96,000 33,15,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	23,86,58,75
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व) (पूंजी)	2,44,39,810 44,45,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व) (पूंजी)	1,00,87,02,49 1,00,00,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व) (पूंजी)	31,88,14,000 26,17,000
21	सहकारिता	(राजस्व) (पूंजी)	1,94,45,23 56,32,51,200
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	55,15,29,98
23	विद्युत विकास	(राजस्व) (पूंजी)	2,72,31,62 2,29,85,28,000

3

24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	5,22,92,974
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	91,17,72,753
			5,90,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	50,21,39,500
		(पूंजी)	1,55,79,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	9,29,17,516
			2,65,00,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	(राजस्व)	15,10,54,000
		(पूंजी)	7,50,00,000
29	वित्त	(राजस्व)	33,62,91,817
		(पूंजी)	3,000
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	18,38,91,000
		(पूंजी)	4,71,41,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	41,50,68,900
		(पूंजी)	38,89,03,000
32	अनुसूचित जाति उप योजना	(राजस्व)	33,82,33,111
		(पूंजी)	48,69,57,000
	जोड़	**(राजस्व)**	**16,60,32,92,949**
		(पूंजी)	**9,26,37,24,200**
		कुल जोड़	**25,86,70,17,149**

07.03.2018/1225/बी0एस0/डी0सी0-7

अब इन्हें मैं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1,2,3, 4,5, 6,7,8, 9,10 , 11,12,13, 14,15, 16,17,18,19 ,20,21, 22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां क्रमशः 16,60,32,92,949/- रुपये (राजस्व) एवं 9,26,37,24,200/-रुपये (पूंजी) जिसका कुल जोड़ 25,86,70,17,149/-रुपये सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए?

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या:1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां क्रमशः 16,60,32,92,949/- रुपये (राजस्व) एवं 9,26,37,24,200/-रुपये (पूंजी) सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार,

मांगें पूर्णरूप से पारित हुई।

07.03.2018/1230/डीटी/एचके-1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार,

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) पुरःस्थापित हुआ"।

07.03.2018/1230/डीटी/एचके-2

<u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार,

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ?

प्रस्ताव स्वीकार,

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार,

अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।

07.03.2018/1230/डीटी/एचके-3

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार,

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार,

"हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-1) पारित हुआ।"

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 08 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमाला 171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 07 मार्च,2018 **सचिव।**